

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 545/2025

- 1 नूरहसन पुत्र स्व. अलाबक्श जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 2 नबीबक्श पुत्र स्व. अलाबक्श जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 3 कालू खान पुत्र स्व. अलाबक्श जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) - वादीगण

बनाम

- 1 अरसा पत्नी स्व. अलाबक्श जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 2 फतेह बीबी पुत्री स्व. अलाबक्श जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 3 सईया पुत्री स्व. अलाबक्श जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 4 नूरअहमद पुत्र स्व. अलाबक्श जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 5 हुसैन खां पुत्र स्व. अलाबक्श जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 6 नूरबीबी पुत्री स्व. अलाबक्श जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 7 जैना पुत्री स्व. प्यारी पुत्री स्व. रमजान जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 8 अब्दुलशकुर पुत्र स्व. प्यारी पुत्री स्व. रमजान जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 9 मन्जूरा पत्नी स्व. बरकत अली पुत्र स्व. प्यारी जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 10 नूरहसन पुत्र स्व. बरकत अली पुत्र स्व. प्यारी जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 11 हुसैन पुत्र स्व. बरकत अली पुत्र स्व. प्यारी जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 12 हासम पुत्र स्व. बरकत अली पुत्र स्व. प्यारी जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 13 रफीक पुत्र स्व. बरकत अली पुत्र स्व. प्यारी जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 14 जिकरा पुत्री स्व. बरकत अली पुत्र स्व. प्यारी जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 15 नूरबीबी पत्नी स्व. मो.सलाम पुत्र स्व. प्यारी जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 16 मो.अली पुत्र स्व. मो.सलाम पुत्र स्व. प्यारी जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 17 मो.रमजान पुत्र स्व. मो.सलाम पुत्र स्व. प्यारी जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

महायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

- 42 अनारा पुत्री स्व. गुलाम अली पुत्र स्व. जन्ना जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 43 नारा पुत्री स्व. गुलाम अली पुत्र स्व. जन्ना जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 44 रसुला पुत्री स्व. गुलाम अली पुत्र स्व. जन्ना जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 45 रांझा पुत्र स्व. गुलाम अली पुत्र स्व. जन्ना जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 46 इकबाल पुत्र स्व. गुलजारा पुत्री स्व. गुलाम अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 47 महंगा पुत्र स्व. गुलजारा पुत्री स्व. गुलाम अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 48 गुलाम ऐसा पुत्र स्व. गुलजारा पुत्री स्व. गुलाम अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 49 तहसीलदार(राजस्व) संगरिया। प्रतिवादीगण




यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते नफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बैरड वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 48 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि मृतक रमजान पुत्र सुरजा के नाम से तहसील संगरिया के चक 8 एम.एम.के. के खाता सं. 69/50 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 1.265 है. दर्ज कृषि भूमि में से वादीगण को 0.759 है. ब.हि.ब. एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 को 0.506 है. ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर रमजान पुत्र सुरजा का नाम कलमजन करने तथा इसी प्रकार मृतक अलाबक्स पुत्र रमजान के नाम से चक 6 डी.एल. पी. के खाता सं. 6/5 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 8577/8602 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 5.146 है. ब.हि.ब. एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 को 3.431 है. ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर अलाबक्स पुत्र रमजान का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही हो तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन किया जावे।

नोट:- प्रश्नगत भूमि बैक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज........नल........मुब्लिक........निल........बाबत्........निल........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक........ अदा करें।

बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26/12/2022 को जारी किया गया।


 (जय कौशिक)
 सहायक कलक्टर एवं
 निलय कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी संगरिया
 उपखण्ड अधिकारी
 संगरिया